



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AE 169631

मीना देवी स्त्री गोपाल प्रसाद सा. आर पी. देउरा कासिमबाजार बलिया (उ.प्र.)

एवम्

— प्रथम पक्ष
मीना देवी

पवन कुमार गुप्ता सा. कासिमबाजार बलिया

— द्वितीय पक्ष
Pawan Gupta

(1) - एकतरफा फरीकें यह है कि भकान इस ब चौहद्दी जेल अभी बना है। जिसके स्वामी प्रथम पक्ष है। जिसके चतुर्थ तल पर एक फ्लैट है जो कि 1000 वर्ग फुट में है। जिसको द्वितीय पक्ष किराये पर लेना चाहता है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को किराये पर देने को तैयार है। दोनों पक्षों के बीच बावत किरायेदारी के शर्तों के अन्य बातों के निवेदित एकरारनामा होना जरूरी है। जिनके धारण पक्षकारान होते हैं। इस लिये खूब सोच समझकर हम पक्षकारान ने निम्न लिखित एकरारनामा कि वस्तु पर काम आये।

नं 3411

1) - चीन गुनी परी गोपनी 2) - कानून वाम सह जो 2) - कानून

1
22/12/13

सजय कुमार पाण्डेय
स्टाम्प डिप्टी
सिविल कोर्ट-बलिया
ला० नं० १९३/६३

(2) - एकरार द्वितीय पक्ष यह है कि मकान किरायेदारी जिसमें दो A.C. रूम, एक A.C. हॉल, किचन, लैट्रिन व बाथरूम स्थित है के लिये कोई आग्रिम धनराशि नहीं दिया है।

(3) - यह कि एकरार प्रथम व द्वितीय पक्ष यह है कि मकान किरायेदारी का किराया मु. 40000/- (चालीस हजार रुपये) प्रति माह होगा और किराया हर अंग्रेजी माह के पहली तारीख से शुरू होकर दूसरे माह की पहली तारीख को देय होगा।

(4) - यह कि एकरार प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष यह है कि मकान किरायेदारी दिनांक 11/4/2023 से दिनांक 31/3/2024 तक दी मान्य होगी।

(5) - यह कि एकरार प्रथम पक्ष यह है कि मकान की साफ सफाई, पेन्टिंग और प्रथम पक्ष अपने खर्चों से करायेंगा। इसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

(6) - यह कि एकरार द्वितीय पक्ष यह है कि वह मकान को स्वच्छ व सुन्दर रखेगा। इसमें कोई तोड़फोड़ या रद्दोबदल नहीं करेगा।

(7) - एकरार फरीकैन यह है कि उपरोक्त एकरारनामा केवल दिनांक 11/4/23 से दिनांक 31/3/24 तक के लिये है। निश्चित अवधि समाप्त होने पर एकरारनामा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(8) - एकरार फरीकैन यह है कि किरायेदारी वाले मकान में मियाद समाप्त होने के बाद रहना चाहेगा तो प्रथम पक्ष की बातों के अनुसार पुनः एकरारनामा तैयार करवाकर रह सकते हैं। यह शर्त हम द्वितीय पक्ष को स्वीकार है।

(9) - यह कि उपरोक्त एकरारनामा सौच समझ कर हम पक्षकारान ने लिख दिया कि कस्त पर काम आवे। पक्षकारान पर उसकी पाबन्दी रहे।

तफसील चौदही मकान

पूरब - मकान भगवान सिंह

पश्चिम - मकान ददन जी अग्रवाल

उत्तर - गल्ली नगरपालिका परिषद

दखिन - मकान मनोज केशरी

हो गवाह - नीरज कुमार

हो - मीना देवी
(प्रथम पक्ष)

हो गवाह Abhishek

हो - Pawan Gupta
द्वितीय पक्ष

दिनांक - 25/12/2023